न्यायालय सिविल जज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
दीवानी वाद संख्या–67 / 2018
गोविन्द बल्लभ पंत व अन्य बनाम श्रीमती दुर्गा देवी आदि

दिनांक–18.04.2023

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित है। पत्रावली न्यायहित में लंच बाद पेश हो।

(श्रीमती सोनिया)
सिविल जज,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

लंच बाद

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुनः वाद पुकारा गया। बार–बार पुकार कराने पर भी न तो वादी और न ही वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादी पूर्व नियत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वादी को न्यायहित में पूर्व तिथियों में कई बार अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था परन्तु वादी उपस्थित नहीं आये और न ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र या हाजिर माफी प्रस्तुत की गयी। आज भी बार–बार पुकार लगाने पर भी न तो वादी और न ही वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। वादी को अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी वादी अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह पाती है कि वादी अपने वाद को चलाये जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं ले रहे हैं तथा उक्त वाद अनावश्यक रूप से न्यायालय में लंबित है। अतः वादी की अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त दीवानी वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या–67 / 2018 वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती सोनिया)
सिविल जज,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।